

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

**आदेश**

श्री अनिरुद्ध नारायण सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज द्वारा सिंचाई प्रमण्डल-मुरलीगंज के अन्तर्गत जानकीनगर शाखा नहर के वि०दू०-252.25 पर निर्मित स्केप रेगुलेटर सह पथीय सेतु निर्माण कार्य में बरती गई अनियमिता के आलोक में बिहार सरकार, उड़नदस्ता अंचल जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

2. श्री सिंह तत्कालीन सहायक अभियंता का अंतिम कैडर झारखण्ड राज्य आवंटित होने के कारण इनके मामले पर निर्णय हेतु मामले से संबंधित संचिका बिहार राज्य से प्राप्त हुई। जिसके आलोक में श्री सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

3. श्री सिंह, द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की गहन समीक्षा विभाग स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि श्री सिंह तत्कालीन सहायक अभियंता संबंधित कार्यस्थल पर घटना के समय पदस्थापित ही नहीं थे। ऐसी स्थिति में इस मामले की समीक्षा कर कथित अनियमितता के लिए कौन दोषी है, इसकी जानकारी की माँग बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग, पटना से की गयी।

4. मामले की पुनः समीक्षा कर बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक- 2447 दिनांक- 30.10.2015 द्वारा श्री अनिरुद्ध नारायण सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता के आलोच्य अवधि वर्ष 2002-03 में पदस्थापित नहीं होने की पुष्टि के साथ इनके स्पष्टीकरण को स्वीकारते हुए आरोप मुक्त करने का मंतव्य दिया गया।

5. श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री सिंह के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इन्हें आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

891-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 3260 राँची/दिनांक 17-6-16

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज/उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री अनिरुद्ध नारायण सिंह, तदेन सहायक अभियंता (से०नि०), फ्लैट नं०-103, सुशीला रेजीडेन्सी, आनन्दपुरी, प० बोरिंग कैनल रोड, पटना 800001/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ✓

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव